प्रेस नोट दिनाँक 04.09.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों के कब्जे से 20 क्वार्टर देशी व 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी।

(क). श्री अजय जायसवाल चौकी प्रभारी गनीवा द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र जगपत पटेल निवासी रम्पुरिया थाना राजापुर चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री राजकपूर यादव तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त मिर्चीलाल पुत्र भगत निवासी कण्ठीपुर थाना राजापुर चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ग). उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त शिवपूजन पुत्र बनारसी निवासी लूपलाइन कस्बा व थाना राजापुर चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दयालदास तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 79/20 धारा 498ए/326ए/316/342/323/504/506 भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधि0 के वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र अच्छेलाल निवासी नहर पट्टी थाना बबेरू जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री दयालदास थाना भरतकूप
2. महिला आरक्षी शिखा सिंह

(3). आज दिनांक 04.09.202 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में पारिवारिक रिश्तों को बचाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पति-पत्नी के झगड़े को समाप्त कराकर प्रार्थिया मन्टोरिया एवं उनके पति प्रहलाद एवं प्रार्थिया रामबाई एवं उनके पति मोहनलाल एवं हसीना पुत्री रामविलाश निवासी बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट पत्नी वारिस अली निवासी सिउनी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर में सुलह कराते हुये 03 परिवारों को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है श्रीमती मन्टोरिया पत्नी प्रहलाद निवासी पड़री शिवरामपुर जनपद चित्रकूट एवं श्रीमती रामबाई पत्नी मोहनलाल निवासी मड़ैय्यन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि उनके पति गाली गलोच कर मारपीट करते है जिससे आपसी कलह होने के कारण अलग-अलग रहने लगे थे । हरिविलाश पुत्र स्व0 गोलरेलाल निवासी बांधी थाना रैपुरा द्वारा अपनी लड़की हसीना के ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग व प्रताड़ित कर घर से निकाल देने के सम्बन्ध में प्रा0 पत्र दिया गया । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त मामलों को संज्ञान में लेते हुये पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित करें । परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त उ0नि0 श्री बैजनाथ सिंह, मुख्य आरक्षी अरुण कुमार तथा महिला आरक्षी मंजूलता द्वारा प्रार्थीयागण एवं उनके पतियों को परिवार परामर्श केन्द्र बुलाकर प्रकरण का निस्तारण कर उनके बीच सुलह समझौता कराया गया एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद न करने हेतु कहा गया। दोनों पक्षों में आपसी सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।